न्यायालय-अमनदीपसिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)

आप.प्रकरण.क.—642 / 2017 संस्थित दिनांक 22.12.2017 फाईलिंग कमांक 21352017

// विरुद्ध //

- 1. जितेश पिता कपूरचंद अग्रवाल, उम्र—38 वर्ष, निवासी संतोषी मंदिर हटरी चौक शक्ति तहसील शक्ति जिला जांजगीर चापा छ0ग0।
- 2.अश्वनी कश्यप पिता एस.पी. कश्यप, जाति कुर्मी, उम्र—49 वर्ष, निवासी मकान नंबर 196 फुटबाल हाउस सुंदर नगर रायपुर छ०ग०।

----<u>आरापागण</u>

// <u>निर्णय</u> // <u>(आज दिनांक 13/03/2018 को घोषित)</u>

01— आरोपी जितेश अग्रवाल के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337 एवं 146/196 मोटरयान अधिनियम के तहत् आरोप है कि उसने दिनांक 12.10.2017 को समय 19:00 बजे स्थान ग्राम स्कूल के सामने ग्राम दमोह थानांतर्गत बिरसा में वाहन मोटर सायकिल पंजीयन क्रमांक सी.जी. 04के.एस.4037 को सार्वजनिक लोकमार्ग पर उपेक्षा एवं लापरवाहीपूर्वक चालन कर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर आहत राजेन्द्र भदौरिया को टक्कर मारकर उसे साधारण उपहित कारित किया तथा उक्त वाहन को बिना बीमा के

चलाया तथा आरोपी अश्विनी कश्यप के विरूद्ध मोट्रियान अधिनियम की धारा—146 / 196 के तहत् आरोप है कि उसने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर अपने स्वामित्व के उक्त वाहन को आरोपी जितेश अग्रवाल से बिना बीमा कराये चलवाया।

अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि अस्पताल तहरीर 02-जांच दौरान गवाह गौतम पंचेश्वर से पूछताछ करने पर उसने बताया कि दिनांक 12.10.2017 को सुबह 9:00 बजे अपने काका बिरजू पंचेश्वर के साथ बैलगाड़ी से धान पिसाने दमोह लेकर गये थे तथा दिन में लाईट बंद होने से धान की गाड़ी मिल में छोड़कर बैल लेकर घर चारटोला धोपघट आ गये और उसके बाद शाम को करीब 6:00 बजे लाईट आने पर वह एवं उसके काका बिरजू बैल लेकर दमोह धान मिल जा रहे थे, तभी करीब 7:00 बजे हाईस्कूल के सामने दमोह के पास एक मोटर सायकिल चालक अपनी मोटर सायकिल को तेज गति लापरवाहीपूर्वक चलाकर उसके काका बिरजू पंचेश्वर को ठोस मार दिया, जिससे वह रोड पर गिर गये और गिरने से उसे सिर व बांये पैर में चोटें आई तथा मोटर सायकिल का चालक एवं उक्त मोटर सायकिल में पीछे बैठा व्यक्ति भी रोड पर गिर गया। उसने मोटर सायकिल का क्रमांक सी.जी. 04के.एस.4037 देखा था, जो साईन कंपनी की थी। घटना के पश्चात मोटर सायकिल गैरेज में काम करने वाले सलीम खान ने अपनी पीकप वाहन में उन्हें बिरसा अस्पताल ले गया था। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी चालक के विरूद्ध अंतर्गत धारा—279, 337 एवं धारा—184 मो.व्ही. एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान मूर्तजर मुलाहिजा, मौका नक्शा, जप्ती, बेड हेड टिकिट, एक्स-रे रिपोर्ट तथा प्रार्थी एवं गवाहों के कथन की कार्यवाही की गई। आरोपी चालक द्वारा उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाने से उसके विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-146 / 196 तथा अस्थिभंग होने

से धारा—338 भा.द.वि. का ईजाफा किया गया तथा वाहन मालिक द्वारा बिना बिना बीमा के वाहन चलवाये जाने से मोटर व्हीकल एक्ट की धारा—146/196 का ईजाफा किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत चालान क्रमांक 203/17 दिनांक 17.12.17 तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

03— आरोपी जितेश अग्रवाल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337 एवं मोटर यान अधिनियम की धारा—146/196 तथा आरोपी अश्विनी कश्यप को मोटर यान अधिनियम की धारा—146/196 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी/आहत राजेन्द्र भदौरिया ने आरोपीगण से राजीनामा कर लिया, जिस कारण आरोपी जितेश अग्रवाल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—337 के अपराध से दोषमुक्त किया गया। आरोपी जितेश अग्रवाल पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279 एवं मोटर यान अधिनियम की धारा—146/196, तथा आरोपी अश्विनी कश्यप पर मोटर यान अधिनियम की धारा—146/196 शमनीय न होने से विचारण किया गया। अभियुक्तगण ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूढा फंसाया जाना प्रकट किया। अभियुक्तगण ने कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की।

प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:— 1.क्या आरोपी जितेश अग्रवाल ने दिनांक 12.10.2017 को समय 19:00

बजे स्थान ग्राम स्कूल के सामने ग्राम दमोह थानांतर्गत बिरसा में वाहन मोटर सायकिल पंजीयन कमांक सी.जी.04के.एस.4037 को सार्वजनिक लोकमार्ग पर उपेक्षा एवं लापरवाहीपूर्वक चालन कर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

- 2.क्या आरोपी जितेश अग्रवाल ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाते हुये आहत राजेन्द्र भदौरिया को टक्कर मारकर साधारण उपहति कारित किया ?
- 3. क्या आरोपी जितेश अग्रवाल ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाया ?
- **4.** क्या आरोपी अश्विनी कश्यप ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर अपने स्वामित्व के उक्त वाहन को आरोपी जितेश अग्रवाल से बिना बीमा कराये चलवाया ?

<u>सकारण निष्कर्ष</u>:--

विचारणीय प्रश्न कमांक 01

- 05— साक्षी राजेन्द्र सिंह अ०सा०—1 ने कहा है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना पिछले वर्ष 12 अक्टूबर शाम के समय 7:00 बजे ग्राम दमोह के पास की है। घटना के समय वह आरोपी जितेश के साथ मोटर सायिकल पर रायपुर से आ रहा था, तभी दमोह के पास उनकी मोटर सायिकल अनियंत्रित होकर गिर गई, जिससे उन दोनों को चोटें आई। बाद में ईलाज के लिए उन्हें बिरसा अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की थी और ना ही उसने पुलिस को कोई बयान दिया था।
- 06— साक्षी राजेन्द्र सिंह अ0सा0—1 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी ने मोटर सायकिल को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर पैदल जा रहे व्यक्ति को ठोस मार दिया था, जिससे वह व्यक्ति सड़क पर गिर गया था और वह दोनों भी मोटर सायकिल सिहत रोड पर गिर गये, फिर उन तीनों को गांव के लोगों ने पीकप से शासकीय अस्पताल बिरसा में ईलाज के लिये भर्ती किया था, पैदल जा रहे व्यक्ति को सिर तथा बांये पैर में चोट लगी थी।

साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.01 पुलिस को न देना व्यक्त किया। यह अस्वीकार किया है कि उसका आरोपी से समझौता हो गया है, इसलिये वह न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के समय आरोपी वाहन को सामान्य गति से चला रहा था, उनकी मोटर सायकिल स्वतः फिसलकर गिर गई थी तथा आरोपी द्वारा किसी को टक्कर नहीं मारी गई थी।

- 07— मयंक बैस अ.सा.03 ने कहा है कि वह आरोपी जितेश अग्रवाल को जानता है। उसके सामने पुलिस द्वारा कोई जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही नहीं हुई। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि पुलिस द्वारा दिनांक 15.12.17 को रेल्वे स्टेशन के पास रायपुर छग में उसके सामने आरोपी जितेश के द्वारा पेश करने पर वाहन कमांक सी.जी.04के.एस.4037 का रजिस्ट्रेशन कार्ड एवं जितेश का झ्यविंग लायसेंस जप्त कर जप्ती पत्रक प्रपी—08 की कार्यवाही की गयी थी, परंतु प्रपी—08 के सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है, पुलिस द्वारा दिनांक 15.12.17 को 16:00 बजे आरोपी जितेश अग्रवाल को उसके समक्ष अभिरक्षा में लेकर प्रपी—09 की कार्यवाही की थी, परंतु प्रपी—09 के सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा आरोपी को बचाने के लिये न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्रपी—08 एवं 09 में उसने पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर किया था।
- 08— दुर्गाप्रसाद बिसेन अ.सा.02 ने कथन किया है कि वह दिनांक 13.10.2017 को थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक गश्ती के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अस्पताल तहरीर की जांच मिली थी, तो उसने ग्राम दमोह जाकर जांच के दौरान गवाह गौतम पिता बलका पंचेश्वर जाति मरार, उम्र 48 वर्ष निवासी चारटोला धोपघट को तलब किया था, जिसे पूछताछ कर

उसका कथन लेख किया, तो उसने बताया था कि दिनांक 12.10.17 को सुबह 09:00 बजे अपने काका बिरजू पंचेश्वर के साथ बैलगाड़ी में धान पिसाने दमोह लेकर गये थे, दिन में लाईट बंद होने से धान की गाड़ी मिल में छोड़कर बैल लेकर घर आ गये थे।

- 09— दुर्गाप्रसाद बिसेन अ.सा.02 के अनुसार उसके बाद शाम करीब 06:00 बजे लाईट आने पर वह एवं उसके काका बिरजू पंचेश्वर साथ में बैल लेकर दमोह धान मिल जा रहे थे, तो 07:00 बजे हाईस्कूल के सामने दमोह पहुँचे थे कि सालेटेकरी तरफ से एक मोटर सायकिल चालक अपनी मोटर सायकिल को तेज गित व लापरवाहीपूर्वक चलाकर उसके काका बिरजू पंचेश्वर को ठोस मार दिये थे, जिससे काका रोड पर गिर गये थे, गिरने से सिर में व बांये पैर में चोट आयी थी एवं मोटर सायकिल चालक एवं मोटर सायकिल में पीछे बैठा व्यक्ति भी गिर गया था, मोटर सायकिल का नंबर सी.जी.04के.एस. 4037 साईन कंपनी की थी। उस समय मौके पर सलीम खान एवं मोटर सायकिल गैरेज में काम करने वाला लड़का भी आया था। सलीम खान ने अपने पीकअप में उसके काका को अस्पताल ले गये थे।
- 10— दुर्गाप्रसाद बिसेन अ.सा.02 के अनुसार उसने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना बिरसा के अपराध कमांक 163/17 दिनांक 13.10.2017 को धारा—279, 337 भा.द.वि. एवं 184 मो.व्ही.एक्ट में आरोपी जितेश के विरुद्ध लेख की थी, जो प्रपी—02 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रकरण में संलग्न रोजनामचा कमांक 49 दिनांक 13.10.17 की प्रतिलिपि प्रपी—03 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है एवं नकल रोजनामचा सान्हा कमांक 16 दिनांक 13.10.17 की प्रतिलिपि प्रपी—04 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त तहरीर जांच उपरान्त थाना प्रभारी महोदय को एफ.आई.आर.

लेने के संबंध में प्रतिवेदन प्रपी—05 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा आहत बिरजू, जितेश, राजेन्द्र को मुलाहिजा हेतु भेजा गया। उक्त अपराध की विवेचना उसके द्वारा की गई। विवेचना के दौरान उसने गौतम पंचेश्वर की निशानदेही पर घटनास्थल का मौका—नक्शा बनाया था, जो प्रपी—06 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

- 11— दुर्गाप्रसाद बिसेन अ.सा.02 के अनुसार उक्त दिनांक को ही उसने घटनास्थल से समक्ष साक्षियों के एक काले कलर की मोटर सायकिल साईन कमांक सी.जी.04के.एस.4037 को जप्त कर जप्ती पत्रक प्रपी—07 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। जितेश अग्रवाल के द्वारा पेश करने पर उसने समक्ष गवाहान उक्त वाहन का रजिस्ट्रेशन कार्ड एवं जितेश का इायविंग लायसेंस जप्त कर जप्ती पत्रक 08 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा बी से बी भाग पर आरोपी जितेश के हस्ताक्षर है। आरोपी जितेश को समक्ष गवाहान के अभिरक्षा में लेकर अभिरक्षा पत्रक प्रपी—09 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा बी से बी भाग पर अरोपी जितेश के हस्ताक्षर है तथा बी से बी भाग पर अरोपी जितेश के हस्ताक्षर है।
- 12— दुर्गाप्रसाद बिसेन अ.सा.02 के अनुसार उसके द्वारा आरोपी को न्यायालय में उपस्थित होने के लिये सूचना पत्र प्रपी—10 है, जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर है तथा बी से बी भाग पर आरोपी जितेश के हस्ताक्षर है। उसके द्वारा उक्त वाहन क्रमांक सी.जी.04के.एस.4037 के वाहन मालिक अश्वनी कश्यप को धारा—133 मो.व्ही.एक्ट का सूचना पत्र दिया था, जो प्रपी—11 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा बी से बी भाग पर वाहन मालिक अश्वनी कश्यप के हस्ताक्षर है। विवेचना के दौरान वाहन क्रमांक सी.जी. 04के.एस.4037 का वाहन परीक्षण कराया था। विवेचना के दौरान आहत बिरजू,

गौतम, सलीम खान, राजेन्द्र, तूफान के कथन उनके बताये अनुसार लेख किये थे।

- 13— दुर्गाप्रसाद बिसेन अ.सा.02 के अनुसार विवेचना के दौरान आहत बिरजू पंचेश्वर के ईलाज के संबंध में पर्ची प्राप्त कर इस प्रकरण में संलग्न किया गया है। प्रकरण में आहत बिरजू की एक्स—रे प्लेट संलग्न है। डॉक्टर द्वारा आहत बिरजू के बांये टिबिया फिबुला हड्डी में फ्रेक्चर होना पाया था तथा उक्त वाहन का बीमा होना नहीं पाया था, जिस कारण धारा—338 भा.द.वि. एवं धारा—146/196 मो.व्ही.एक्ट का ईजाफा कर प्रकरण चालानी कार्यवाही हेतु थाना प्रभारी को सौंप दिया था।
- 14— दुर्गाप्रसाद बिसेन अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि प्रपी—02 की कार्यवाही उसके द्वारा झूठी तैयार की गई थी, प्रपी—03 भी उसके द्वारा झूठा तैयार किया गया था, प्रपी—04, 05 झूठा बनाया गया था, प्र.पी—06 की कार्यवाही उसके द्वारा थाने में की गई थी। साक्षी के अनुसार साक्षी गौतम की निशानदेही पर घटनास्थल बनाया गया था। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि प्रपी—07 एवं 08 की कार्यवाही उसके द्वारा झूठी की गई थी तथा उसके द्वारा संपूर्ण विवेचना झूठी की गई थी।
- 15— उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक वाहन चलाये जाने के प्रकरणों में अभियोजन को संदेह से परे यह प्रमाणित करना होता है कि वाहन चालक द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय अनावश्यक जल्दबाजी व अविवेकपूर्ण गति से वाहन को चलाया जा रहा था या ऐसी कोई लापरवाही बरती गई थी, जिसके कारण दुर्घटना हुई थी। अभियोजन साक्षीगण ने अपनी—अपनी साक्ष्य में

आरोपी द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय वाहन को अनावश्यक जल्दबाजी एवं अविवेकपूर्ण गित से तथा जानबूझकर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाया गया था, कोई तथ्य एवं परिस्थितियाँ प्रकट नहीं की है। अन्य किसी भी साक्षी ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। अभियुक्त के गाड़ी चलाने के ढ़ंग तथा उपेक्षा से समर्थित कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को सार्वजिनक लोकमार्ग पर उपेक्षापूर्वक तथा लापरवाही से वाहन का चालन किया गया। अतः अभियुक्त जितेश अग्रवाल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

विचारणीय बिन्दू कमांक-02 से 04 का निष्कर्ष:-

नोट:-साक्ष्य की पुनरावृति को रोकने तथा सुविधा हेतु तीनो विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

16— साक्षी दुर्गाप्रसाद बिसेन अ०सा०—02 के अनुसार विवेचना के दौरान प्रकरण में आरोपी चालक के पास बीमा न होने तथा वाहन मालिक द्वारा आरोपी को बिना बीमा के वाहन चलाने देने से उसके द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध धारा—146/196 मो.व्ही. एक्ट का ईजाफा किया गया था। घटना के समय अभियुक्त जितेश द्वारा वाहन चालन दर्शित है। अभियुक्त जितेश द्वारा अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है और ना ही साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में भी ऐसे कोई तथ्य प्रकट किये गये है कि घटना के समय उसके पास बीमा था। दुर्घटना के समय बीमा होने के विशिष्ट तथ्य को साबित करने का भार अभियुक्त पर था, क्योंकि विवेचक साक्षी द्वारा अपनी अखण्डनीय साक्ष्य में उक्त तथ्य को अस्वीकार किया गया है, परन्तु अभियुक्त द्वारा उक्त संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

17— ऐसी स्थिति में यह सिद्ध होता है कि अभियुक्त द्वारा घटना के

समय वाहन को बिना बीमा के चलाया गया एवं वाहन मालिक अभियुक्त अश्विनी कश्यप द्वारा घटना के समय उक्त वाहन को बिना बीमा के चलवाया गया। फलतः अभियुक्त जितेश अग्रवाल को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा—146 / 196 तथा अभियुक्त अश्विनी कश्यप को मोटर व्हीक्ल एक्ट की धारा—146 / 196 के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

- 18— अभियुक्तगण के विरूद्ध किसी पूर्वतन दोषसिद्धि का कोई प्रमाण अभिलेख पर नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुये उसे अपराधी परवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रावधानों का लाभ देना अथवा उनके विरूद्ध नर्म रूख लिया जाना उचित नहीं होगा। फलतः उन्हें एक उचित दण्ड देने की आवश्यकता है।
- 19— अतः अभियुक्त जितेश अग्रवाल को मोटर यान अधिनियम की धारा—146/196 के अपराध के लिए 1,000/—(एक हजार) रूपये तथा अभियुक्त अश्विनी कश्यप को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा—146/196 के अपराध के लिये 1,000/—(एक हजार) रूपये इस प्रकार कुल 2,000/—(दो हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दिण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा ना करने पर अभियुक्तगण को अर्थदण्ड की राशि के लिए एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भूगताया जावे।
- 20— अभियुक्तगण प्रकरण में अभिरक्षा में नहीं रहे है, उक्त संबंध में धारा–428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

THE PA

21- अभियुक्तगण के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

- 22— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन साईन कमांक सी.जी.04के.एस.4037 पुलिस थाना बिरसा में सुरक्षार्थ रखा गया है। उक्त वाहन अपील अवधि पश्चात वाहन के पंजीकृत स्वामी को नियमानुसार दिया जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।
- 23— अभियुक्तगण को निर्णय की प्रतिलिपि धारा—363(1) द.प्र.सं. के तहत निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही / — (अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.) सही / –
(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट(म.प्र.)

ALLAN SHARING SUN